राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्रम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. — 38/2015 रे0वा0 | निर्णय दिनांक — 26.05.2016

अनवान

1. श्री हरीश कुमार पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
2. श्री श्रवण कुमार पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
3. श्री भरत कुमार पिता मांगीलाल आयु नाबालिग जाति रेगर जरिये माता मैनादेवी पत्नि मांगीलाल।
4. श्रीमती मैनादेवी पत्नि मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
   समस्त निवासीयान भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. श्री नारायण लाल पिता आशाराम आयु बालिग जाति रेगर निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय भीम।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर.टी.एक्ट वास्ते बंटवारा

वादीगण व प्रतिवादीगण के स्वामित्व में मौजा भीम, पटवार क्षेत्र भीम, तहसील भीम में निम्न वर्णित कृषि भूमि आई हुई है :—

खाता नम्बर	**आराजी नम्बर**	**रकबा**	**किस्म**
841	16504/8777	2.00.00	बंझड़

कुल खसरा 01(एक) कुल रकबा 02 बीघा

उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा में होकर अपने—अपने हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं।

आराजियात का रिकॉर्ड अनुसार मौके पर बंटवारा नहीं होने के कारण से हर समय मौके पर विवाद रहता है व आये दिन प्रतिवादी संख्या 01, वादीगण के हिस्से पर आते—जाते हैं व कब्जा करने की कोशिश कर लेते है व रिकॉर्ड में मौके अनुसार बंटवारा नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से को उन्नत व विकसित नहीं कर पर रहे हैं जिससे वादीगण को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

वादीगण अधिकारी है कि वो वादपत्र पेश कर उक्त उपर वर्णित आराजियात का आने वाले अपने हिस्से का बंटवारा मौके पर रिकॉर्ड अनुसार अलग अलग करवाना चाहते हैं इसलिए यह बंटवारा हेतु वादपत्र पेश कर रहे हैं।

अतः वादी का वाद **राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार 2016 " कैम्प भीम** में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित होकर आपसी राजीनामें से उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा का होकर अपने अपने हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार प्रारम्भिक डिगरी जारी हो।

( )
पीठासीन अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(सुश्री सुमन सोनल आर.ए.एस पीठासीन अधिकारी)
भीम

प्रकरण सं.– 38 / 2015रै0वा0/591 निर्णय दिनांक – 08 / 07 / .2019.

अनवान

1. हरिश कुमार पिता श्री मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
2. श्रवण कुमार पिता श्री मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
3. श्रीमति भरत कुमार पिता श्री मांगीलाल आयु नाबालिग जरिये माता संरक्षक मैनादेवी पत्नि मांगीलाल जाति रेगर।
4. श्रीमति मैनादेवी पत्नि श्री मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
   निवासीयान् भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द। –वादी

बनाम्

1. नारायण लाल पिता श्री आसाराम जाति रेगर निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब भीम।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 राज.काश्त.अधि.
वास्ते बंटवारा हेतु

तहसीलदार भीम द्वारा प्रारंभिक डिक्री की पालना में निम्न खातेदारों के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है तथा आराजी नम्बर 16504 / 8777 / 1 रकबा 01 बीघा भूमि का वादी और उसके हिस्सेदारान् को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आराजी नम्बर 16504 / 8777 मीन का रकबा 01 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है संलग्न नक्शे एवं पटवारी की प्रारंभिक डिक्री के अनुसार रिकॉर्ड में अलम दरामद करने का आदेश दिया जाते । अन्तिम डिक्री जारी कि जाती है तद्नुसार डिगरी पर्चा कायम किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

डिगरी

अज अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास श्री सुमन सोनल आर.ए.एस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम

प्रकरण सं.– 38/2015रै0वा0/591 निर्णय दिनांक – 08/07/.2019.

अनवान

1. हरिश कुमार पिता श्री मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
2. श्रवण कुमार पिता श्री मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।
3. श्रीमति भरत कुमार पिता श्री मांगीलाल आयु नाबालिग जरिये माता संरक्षक मैनादेवी पत्नि मांगीलाल जाति रेगर।
4. श्रीमति मैनादेवी पत्नि श्री मांगीलाल आयु बालिग जाति रेगर।

निवासीयान् भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द। **–वादी**

बनाम्

1. नारायण लाल पिता श्री आसाराम जाति रेगर निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब भीम।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर .... रे.वा

यह कि आज वास्ते इन्फिलास कतई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है मौजा भीम पटवार क्षेत्र भीम, तहसील भीम की खाता संख्या 841 आराजी संख्या 16504/8777 कुल खसरा 01कुल रकबा 02 बीघा भूमि है दर्शाये गये संलग्न नक्शे के अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी की जाती है तथा आराजी नम्बर 16504/8777/1 रकबा 01 बीघा भूमि का वादी और उसके हिस्सेदारान् को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आराजी नम्बर 16504/8777 मीन का रकबा 01 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है संलग्न नक्शे एवं पटवारी की प्रारंभिक डिक्री के अनुसार रिकॉर्ड में अलम दरामद किया जावे। अन्तिम डिक्री जारी कि जाती है तद्नुसार डिगरी पर्चा कायम किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख .... को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
भीम जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

दद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा	1	00	स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत	
मेहताना वकील) पर			मेहताना वकील) पर	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	छपस
फीस कमीशन	1	00	फीस कमीशन	
बाबत् ईजराय हुक्मनामा			बाबत् ईजराय हुक्मनामा	
मुतफर्रिफ			मुतफर्रिफ	
मीजान	3	00	मीजाना	शून्य